कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्थाना. 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री रामकिशन जगरवाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीन्ता, तालेडा, बूंदी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमली जिला बारां किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रामकिशन जगरवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3728/2019 रामकिशन जगरवाल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3728/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज करते हुए अपीलार्थी को 5 रिक्त पद कोटा या बूंदी जिले में दर्शाते हुए 15 दिवस में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसके अभ्यावेदन पर आगामी 15 दिवस में न्याय संगत व उचित सकारण आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रसाारित किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीया, के.पाटन/जमीतपुरा/लाखेरा जिला बूंदी में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी को समीपवर्ती बारां जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर नहीं। इच्छित स्थान पर पदस्थापन की अपीलार्थी की मांग किसी भी दृष्टि से उचित एवं न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे एवं उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है।

अपीलार्थी का स्थानान्तरण किसी नियम एवं विधि के विरूद्ध नहीं है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य समकक्ष का राज्य स्तरीय पद धारित है एवं उनका स्थानान्तरण राज्य हित/छात्र हित एवं प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास मित्तल व 207 अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप न किये जाने की विधि को प्रतिपादित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार (ए.आाई.आर 1991 एस.सी. 532) प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में अभिकथन किया गया है कि राजकीय सेवा में हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत कार्मिक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने से उसके संवैधानिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री रामकिशन जगरवाल द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

24/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/अपील/रामकिशन/3728/2019/ दिनांक :– 27.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/ पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी / बारां।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बून्दी / बारां।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. रामकिशन जगरवाल, सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर